नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ शुक्रवार को समर्थकों की भारी भीड़ के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने तारानगर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुँचे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने चूरू में रामगढ़ी गौशाला जाकर पूजा -अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के बाद राठौड़ की जनसभा भी हुई, जिसमें 35 हजार लोगों एवं कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। जनसभा के दौरान सौ से ज्यादा कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए।

राजेन्द्र राठौड़ की नामांकन सभा में पैंतीस हजार लोगों की भारी भीड़

- चन्दन विहार में आयोजित सभा में पंडाल भरने के बाद लोग बाहर खड़े रहे।
- सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसी भी सभा में नज़र आए।

तारानगर, 3 नवम्बर (निसं)। तारानगर से भाजपा के उम्मीदवार राजेन्द्र सिंह राठौड़ की चन्दन विहार में हुई नामांकन सभा में करीब 35 हजार की भीड़ ने राठौड़ को अपना समर्थन दिया। राजेन्द्र सिंह राठौड़ चूरू में रामगढ़ी गौशाला में पूजा-अर्चना के बाद तारानगर पहुंचे तथा निर्वाचन अधिकारी सन्दीप पूनीया के समक्ष निर्वाचन कार्यालय में दोपहर 12.15 बजे अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इसके बाद अपनी विशाल रैली व जुलूस के साथ वे चन्दन विहार पहुंचे। नामांकन रैली में उनकी धर्मपत्नी चांद कंवर भी उपस्थित थीं।

राठौड़ ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस ने किसानों पर नहर के नाम पर दर्जनों मुकदमे करवाने का काम किया। नरेन्द्र बुडानियां पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि, तारानगर में जम कर लूट हुई है, मैं यहां जाति की राजनीति करने नहीं आया हूं।

नामांकन रैली में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण अपने सम्बोधन में बोले कि, राजेन्द्र राठौड़ व हरलाल सहारण दोनों भाई हैं, मैं जाट हूं फिर भी राठौड़ ने मुझे जिला प्रमुख बनाया। इस चुनावी समय में मैं अपनी जाति के लोगों के आग्रह करता हूं कि, राजेन्द्र राठौड़ 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं, मेरा वजूद भी इनके कारण--, यह कहते हुए हरलाल सहारण भावुक हो गये।

तारानगर से कांग्रेस के पूर्व विधायक व भाजपा का दामन थामने वाले डॉ. चन्द्रशेखर बैद ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि, तारानगर में जो लूट हो रही थी उसको मिटाने के लिये मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। तारानगर के विकास के लिये मैंने राजेन्द्र राठौड़ का हाथ पकड़ा है। बैद ने कहा, राजस्थान में दो तिहाई बहुमत से भाजपा का राज आयेगा।

नामांकन सभा में तारानगर के पूर्व प्रधान जयसिंह इन्दलिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष पप्पू सोनी, काशीराम सोलंकी, पूर्व बी.डी.सी. मंगलाराम चान्देल बनियाला, हरदत्त सहारण, पूनम चन्द सरावगी, ओम हलवाई, मनोज सरावगी, मधु सरावगी, एडवोकेट पंकज स्वामी, दीनदयाल स्वामी सहित सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा।

सभा को पूर्व केन्द्रिय मंत्री सुभाष महरिया, रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश जांगीड़, डॉ. वासुदेव चावला, पराक्रम सिंह, महावीर पूनिया, पूर्व प्रधान कुन्दनमल बाबल, जमरदीन तेली, नरेश सहारण, श्यामलाल शर्मा जैतसीसर सहित कई भाजपा नेताओं ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राजेन्द्र जोईया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष चन्द्राराम गुरी ने किया।

भाजपा ने चौथी सूची में नए चेहरों पर दांव खेला

- टोडाभीम से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया, जो एक दिन पहले, गुरूवार देर शाम को ही भाजपा में शामिल हुए थे।
- रामनिवास मीणा को पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ई.आर.सी.पी. के लिए आंदोलन किया था।
- शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है, जो बाड़मेर जिलाध्यक्ष हैं।

जयपुर, 3 नवम्बर (का.सं.)। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में मात्र दो विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। टोडाभीम से रामनिवास मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है और शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा पर पार्टी ने दांव खेला है।

खास बात यह है कि, रामनिवास मीणा ने गुरुवार देर शाम को ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। रामनिवास मीणा पूर्वी राजस्थान में पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मीणा ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट (ई.आर.सी.पी.) के मुद्दे को पूर्वी राजस्थान में पुरजोर तरीके से उठा रखा था। ई.आर.सी.पी. को केंद्र से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि, भाजपा ने रामनिवास मीणा को प्रत्याशी घोषित कर बड़ा दांव खेला है।

शिव विधानसभा सीट पर भाजपा ने स्वरूप सिंह खारा को उम्मीदवार बनाया है। स्वरूप सिंह खारा बाड़मेर से भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। हालांकि, शिव विधानसभा सीट के लिए, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए छात्र नेता रविंद्र भाटी का भी नाम चर्चाओं में था। पिछले दिनों ही जयपुर में रविंद्र भाटी ने भाजपा का दामन थामा था। उस समय यह कयास लगाए जा रहे थे कि, युवा चेहरे के लिहाज से भाजपा शिव विधानसभा सीट पर रविंद्र भाटी को उतार सकती है, लेकिन लगता है पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। स्वरूप सिंह खारा को शिव विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से उनके समर्थकों में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं, दूसरी ओर टिकट की मांग कर रहे खंगार सिंह ने बगावती रूख अख्तियार कर लिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज खंगार सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं।

दिल्ली-एन.सी.आर. समेत उत्तर भारत में भूकम्प के तेज झटके

- नेपाल था भूकम्प का केंद्र; रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई।

नई दिल्ली, 3 नवम्बर। दिल्ली-एन.सी.आर. समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकम्प के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतनी तेज थे कि, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। भूकम्प करीब रात 11 बजकर 35 पर आया। अभी तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र ने बताया कि, 6.4 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र नेपाल था। हालांकि, झटके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में भी महसूस किए गए। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही हरियाणा के कई हिस्सों में कम्पन महसूस हुआ।

कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी के निवास पर जितेन्द्र सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया

- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बस्तीराम यादव का टिकट काटने को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है।
- विरोध प्रदर्शन करने गए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद डॉ. करण सिंह दीवान भी थे। कांग्रेसियों ने धरना देकर टिकटों पर पुनर्विचार की मांग की।

बहरोड़/ अलवर, 3 नवम्बर (निसं)। बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बस्तीराम यादव का टिकट काटने से नाराज़ पूर्व सांसद डॉ. करण सिंह यादव सहित विधानसभा क्षेत्र के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में सोनिया गाँधी के आवास, 10 जनपथ, पर पहुंचकर धरना दिया टिकट वितरण में पुन:निरीक्षण की मांग की और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अन्याय के लिए भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी को लिखित में ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल आदि ने बहरोड़ और अलवर की कुछ सीटों को रिव्यू करने का आश्वासन दिया।

यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बस्ती राम यादव सहित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों व सरपंच आदि ने भंवर जितेंद्र सिंह की हठधर्मिता के खिलाफ पार्टी को नुकसान पहुंचाकर जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी से हटाकर चाटूकार लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। इन लोगों ने कहा कि, बहरोड़ से बस्तीराम यादव, राजगढ़ - लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से जौहरी लाल मीणा और राहुल मीणा, कठूमर से बाबूलाल बैरवा, बलवीर सिंह जिला प्रमुख अलवर, रोहिताश्व चौधरी पूर्व प्रधान मुंडावर और तिजारा से दूर्रूमिया का टिकट काटा है एवं अलवर जिले से ना तो किसी ब्राह्मण और ना ही सैनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया है।

प्रदर्शन व धरने में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बेनी प्रसाद जोशी, सुरेश भेडी, अमीलाल, नरेंद्र सैनी, तेज सिंह, सरदार सिंह, जोगिंदर सरपंच, सुनील, मुकेश, कृष्णा मीणा, जगराम, रामावतार, पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह, सुनील, सुरेंद्र, रमेश, पार्षद रोहिताश्व, रमेश, विक्रम, करनैल सिंह, छात्र नेता संजय बोहरा, कैलाश गुर्जर, दयाराम आदि सहित सैंकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

'पेपर लीक और नकल की प्रवृति सबसे घातक बीमारी'

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में लक्ष्मणगढ़ से आईं छात्राओं के साथ बातचीत के दौरान हाल ही में राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में सामने आई पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र किया।

नयी दिल्ली, 3 नवम्बर (वार्ता)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतियोगी परिक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने तथा इनमें नकल की प्रवृति को घातक बीमारी करार देते हुए आज कहा कि इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

धनखड़ ने शुक्रवार को यहां संसद भवन में राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से आई छात्राओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। हाल की पेपर लीक घटनाओं का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक और नकल बहुत घातक बीमारी है। उन्होंने कहा, जो भी पेपर लीक में सहयोग करते हैं, पेपर लीक से आर्थिक लाभ कमाते हैं, पेपर को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो सबसे पहले आपकी योग्यता पर कुठाराघात करते हैं।

'ताजमहल असल में राजा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- याचिका में दावा किया गया है कि, ताज महल मूलतः राजा मानसिंह का महल था, जिसकी शाहजहां ने सिर्फ मरम्मत करवाई थी।
- हिन्दू सेना ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने यह कह कर ठुकरा दिया कि, हम इतिहास को ''रीओपन'' करने के लिए नहीं है।

हटाया जाए तथा इस स्मारक की वास्तविक आयु का पता लगाया जाए।

चीफ जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गडेला की एक बैंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें दावा किया गया था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण नहीं किया था बल्कि राजा मान सिंह के महल की मरम्मत मात्र करवाई थी।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने ऐसे ही निवेदनों के साथ पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता इस संबंध में ए.एस.आई. को एक प्रतिवेदन देने के बाद अपनी याचिका वापस ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसम्बर 2022 में यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया था कि जनहित याचिकाओं का उद्देश्य सतही जानकारियां एकत्रित करना नहीं है तथा कोर्टों का काम इतिहास का पुनर्लेखन करवाना नहीं है।

याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के अधिवक्ता ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने इस वर्ष के जनवरी माह में ए.एस.आई. को एक प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उन्हें इस बारे में अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हाईकोर्ट ने ए.एस.आई. से कहा कि वह याचिकाकर्ता के दावे का अन्वेषण करने के बाद उनके प्रतिवेदन पर कोई निर्णय करें।

यादव, ''हिन्दू सेना'' नामक एन.जी.ओ. के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में दावा किया है कि ताजमहल के निर्माण को लेकर आमजन को इतिहास के गलत तथ्य पढ़ाए एवं बताए जा रहे हैं।

याचिका में कोर्ट से सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह इतिहास की किताबों व स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों में प्रचलित पाठ्यपुस्तकों से शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण की कथित गलत तथ्यात्मक जानकारी को हटाए।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके शोध से पता चला है कि शाहजहां और मुमताज महल के शवों को वहां एक गुंबद के नीचे दफनाया गया वहां पहले से ही एक भव्यमहल था।

याचिका में कहा गया है, ''यह बहुत विचित्र है कि शाहजहां के दरबार के इतिहास में कहीं भी इस भव्य कब्र के वास्तुकार का नाम नहीं है इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा मानसिंह के महल को ढहाया नहीं गया बल्कि उसमें कुछ बदलाव कर ताजमहल का वर्तमान स्वरुप दिया गया। इसीलिए शाहजहां के दरबार के इतिहास में किसी वास्तुकार का उल्लेख नहीं है।''

राजा मानसिंह शाहजहां के दादा अकबर के सेनापति थे।

17 वीं शताब्दी का यह स्मारक युनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट द्वारा अधिसूचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने...

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद केस सिंगल बैंच से लेने का निर्णय दिया था।

फैसला दिया था। यह बैंच 2021 से केस की सुनवाई कर रही थी।

सिंगल जज बैंच, उस जगह जहां मस्जिद है, पर मंदिर बहाल करने के वाद को सुनवाई योग्य होने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी।

चीफ जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बैंच ने मस्जिद कमेटी के वकील हुज़ैफा अहमदी की दलील सुनने के बाद कहा कि, याचिका को खारिज किया जाता है।

बैंच ने कहा, हमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट्स में यही परम्परा है। यह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दायरे में होना चाहिए।

ब्यूरोक्रैसी के हैडक्वार्टर, सचिवालय में ई.डी. का सर्च अभियान

मंत्री महेश जोशी के कार्यालय और ए.सी.एस. सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर ई.डी. ने तलाशी ली

- यह रेड जल जीवन मिशन घोटाले के संबंध में की जा रही है।
- इस संबंध में कुछ समय पहले भी रेड की गई थी, जिसमें प्राप्त सूबतों के आधार पर ई.डी. ने नए सिरे से कार्यवाही की है।

जयपुर 3 नवंबर (का.प्र.)। हजारों करोड़ रुपयों की जल जीवन मिशन योजना में घोटाले को लेकर एक बार फिर से एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। ये कार्यवाहियाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी मंत्री महेश जोशी के कार्यालय तथा इस योजना से जुड़े अतिरिक्त मुख्य सचिव, आई.ए.एस. अधिकारी सुबोध अग्रवाल के कार्यालय और घर पर की गई है। इसी के साथ कुचामन सिटी और दौसा में भी ई.डी. ने सर्च किया है

इस मामले को लेकर पहले भी ई.डी. की टीम ने मंत्री महेश जोशी के नज़दीकी संजय बड़ाया के यहां छापा मारा था, वहां से कुछ सबूत हाथ आए थे। कहा जा रहा है कि, उन्हीं सबूतों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को मंत्री महेश जोशी के सचिवालय स्थित कार्यालय और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के कई ठिकानों पर कार्यवाही के साथ पूछताछ की है।

ई.डी. ने कुछ सप्ताह पहले इस मामले से जुड़े ठेकेदारों और अन्य लोगों के यहां पर छापे मारे थे और ढाई करोड़ रुपये की नगदी बरामद की थी। इसके अलावा ई.डी. की टीम ने सोने की एक ईंट भी बरामद की थी, जो करीब 1 किलो वजन की थी। जिसका बाजार मूल्य साठ लाख रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इस मामले में अब अधिकारियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं।

शुक्रवार को सचिवालय सहित जल भवन में कार्यवाहियों के दौरान ई.डी. की टीम ने सर्च अभियान के साथ-साथ पूछताछ भी की। आयकर विभाग की टीम भी सचिवालय पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान सभी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जब्त कर लिए थे। हालांकि दोपहर बाद मोबाइल लौटा दिए गए।

बताया जा रहा है कि, ई.डी. की टीम पी.एच.ई.डी. मंत्री डॉ. महेश जोशी पर पूरी नजर बनाए हुए है। साथ में जोशी के करीब भी ई.डी. की रडार में हैं। इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बढ़ाया, प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह काव्या, अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी और ठेकेदार पदम जैन के घरों पर ई.डी. का सर्च अभियान चल रहा है।

पूर्व में जल जीवन मिशन योजना के घोटाले को लेकर हुई ई.डी. की कार्रवाई से पहले ही संजय बढ़ाया को इसकी भनक लग गई थी और कार्रवाई से एक दिन पहले उन्होंने अपना मोबाइल फोन बदल लिया था। संजय के उस फोन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं इसलिए ई.डी. की टीम संजय से वह फोन हासिल करने का प्रयास कर रही है। ज्ञातव्य है कि, ई.डी. की कार्रवाई के दौरान संजय बढ़ाया और रिटायर्ड आई.ए.एस. अफसर महेश मित्तल के आवास पर भारी मात्रा में नगदी मिली थी, जिसको गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई थी। फिलहाल ई.डी. के अधिकारी महेश मित्तल और संजय बढ़ाया से पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। ई.डी. की कार्रवाई से कांग्रेस के नेताओं और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

'जब तक जे.डी.ए. का पट्टा नहीं, तब तक बिजली का कनेक्शन नहीं'

राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय पर आज पुनः मोहर लगाई

- राजस्थान हाई कोर्ट ने पृथ्वीराज नगर योजना में 855 में से 214 गैर अनुमोदित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन नहीं देने का फैसला सुनाया।
- अदालत ने जे.डी.ए. के तर्क को स्वीकार किया कि अगर 214 कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी किए गए, तो वहां के निवासियों के लिए जे.डी.ए. का पट्टा लेने का कोई विशेष कारण नहीं रह जाएगा।
- सुनवाई के दौरान जे.डी.ए. के तर्क के विरूद्ध में कहा गया था कि, बिजली कनेक्शन जारी करने से भूमि का स्वामित्व निर्धारित नहीं हो जाता है और जे.डी.ए. द्वारा बताया गया 'नुकसान' एक काल्पनिक नुकसान है।
- अदालत को यह भी बताया गया कि, विद्युत विभाग के पास ना तो यह अधिकार है ना उपयुक्त अवसर, जो कनेक्शन जारी करने से पहले यह सुनिश्चित कर सके कि आवेदक भूमि का मालिक है या किरायेदार या अतिक्रमणकारी। पर कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने से अदालत लोगों को अपने मूल अधिकार से वंचित रखेगी और चोरी को बढ़ावा भी देगी।
- इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि, वह जल्द ही इस मामले में 'अपील' दायर करेंगे।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 3 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की पृथ्वीराज नगर (पी.आर.एन.) योजना में सोसायटियों के पट्टे, जिनका जे.डी.ए. ने अभी तक नियमन नहीं करा है, पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने के पक्ष में फैसला दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.) की ओर से दायर अर्जी तथा अन्य प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट की एकलपीठ द्वारा 2013 में दिए गए फैसले को सही माना हैं।

उक्त मामले में, वर्ष 2013 में, राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किए थे कि पी.आर.एन. योजना में राज्य सरकार व प्रशासन उन कब्जाधारियों को बिजली कनेक्शन ना दे जिनके हक में जे.डी.ए. के पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि ''यह इसलिए किया जा रहा है ताकि उक्त क्षेत्र में जे.डी.ए. के पट्टों के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं हो।''

यह उल्लेखनीय है कि इस योजना में 641 अनुमोदित व 214 गैर अनुमोदित कॉलोनिया हैं। इनमें कुल 80,018 भूखंड हैं। वहीं इनमें से 62,454 भूखंडो को जे.डी.ए. ने पट्टे जारी कर दिए हैं। जबकि 17,564 भूखंड ऐसे है, जिन्हें पट्टे जारी नहीं किए गए हैं।

इस मामले में अदालत ने सहयोग के लिए न्यायमित्र के रूप में पी.एन. भंडारी को नियुक्त किया था। साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता जैसे, जी.एस. बाफना और भरत व्यास से, इस क्षेत्र में अनुभव रखने के कारण भी राय व सलाह ली थी। गौर फरमाने योग्य है कि अदालत को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कनेक्शन को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अदालत को सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया था कि जे.वी.वी.एन.एल. किसी भी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन जारी करते समय यह पुष्टि नहीं कर सकता है कि वह उपभोक्ता भूमि का मालिक है, किराएदार है या अतिक्रमणकारी है, क्योकि जे.वी.वी.एन.एल. के पास यह जाँच करने का ना तो अधिकार है, ना ही उपयुक्त अवसर। सुनवाई के दौरान अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि बिजली कनेक्शन जारी हो जाने से, कनेक्शनधारी, यह सिद्ध नहीं कर सकता कि जिस भूमि पर वह काबिज़ है, उस भूमि का वह मालिक है।

अगर कनेक्शनधारी, एक अतिक्रमणकारी है तो प्रशासन कभी भी उस अतिक्रमणकारी को हटाने की कार्यवाही कर सकती है।

जब सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सवाल उठाया कि पी.आर.एन. योजना में 17 हजार से भी अधिक भूखंडों पर पट्टे जारी क्यो नहीं हुए हैं? तब अदालत को बताया गया था कि वर्ष 2013 के हाई कोर्ट के आदेश से ही उक्त भूमि ''डीएक्वायर'' कर दी गई थी, यानि जे.डी.ए. को पी.आर.एन. के अंदर बनी कॉलोनियों का नियमन करने के लिए कैंप लगाने थे।

अदालत को बताया गया कि 200 से ऊपर कॉलोनियों को रेगुलराइज़ नहीं करने के पीछे जे.डी.ए. में चल रहा भ्रष्टाचार ही एक मात्र कारण है। अदालत ने गत 24 मई को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित किया था। अदालत के फैसले से जाहिर है कि वह अतिक्रमण व अवैध निर्माण को बढ़ावा ना देने की दृष्टि से पी.आर.एन. योजना में सोसाइटीयों द्वारा काटे गए पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने के पक्ष में नहीं है।

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान जे.डी.ए. द्वारा कहा गया था कि अगर उक्त क्षेत्र में 214 गैर अनुमोदित कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन दे दिए गए, तो इन कॉलोनियों में बसे लोगों के लिए जे.डी.ए. का पट्टा लेने के लिए कोई विशेष कारण नहीं रह जाएगा जिससे जे.डी.ए. को 1621 करोड़ का नुकसान हो सकता है।

हालांकि इसके विपरीत यह तर्क भी दिया गया था कि जे.डी.ए. के लिए यह एक 'नोश्नल लॉस,' यानि काल्पनिक नुकसान ही है। अदालत के इस आदेश के बाद अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ 'अपील' जल्द ही करेंगे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908